आदेश

वित्त विभाग बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 4685, दिनांक–25.06.03 एवं संकल्प सह ज्ञापांक 7566 दिनांक–14.07.2010 में वर्णित प्रावधानों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत संबंधित विविध परिपत्रों के आलोक में दिनांक–08.04.2019 को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2003 एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के अन्तर्गत सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–20734/2018 के याचिकाकर्ता सेवानिवृत प्रा0अ0नि0(प्रशि0) अनिल कुमार एवं कतिपय अन्य समकक्ष पदाधिकारियों तथा आशु संवर्ग के पदाधिकारियों को देय/अदेय ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के लाभ पर विचारण के निमित्त पुलिस महानिदेशक पर्षद की बैठक आहूत की गई। इस क्रम में पुलिस महानिदेशक पर्षद की बैठक में निम्नलिखित संबंधित बिन्दुओं पर विशिष्ट रूप से विचार किया गया, जो निम्नानुसार है :–

(क) गृह विभाग के पत्रांक–7225, दिनांक–23.07.2005 के माध्यम से राज्यभाषा विभाग, बिहार सरकार का प्राप्त परामर्श के आलोक में निर्णय लिया गया कि हवलदार पद पर प्रोन्नति से पूर्व वित्तीय उन्नयन के निमित्त सिपाहियों को हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा।

(ख) चूंकि, सिपाहियों को संसाधन के अभाव में विभाग द्वारा एस0एल0सी0 प्रशिक्षण हेतु काफी विलम्ब से भेजा जाता है, इसलिए हवलदार पद पर प्रोन्नति देने से पूर्व वित्तीय उन्नयन के निमित्त एस0एल0सी0 परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा।

(ग) जिन कर्मी/पदाधिकारी को हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण होने से पूर्व हवलदार के पद पर प्रोन्नति दी गयी है, उनको उत्तरवर्ती वित्तीय उन्नयन हिन्दी परीक्षा की उत्तीर्णता तिथि के अनुसार अनुमान्य होगा। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकार के माध्यम से संबंधित कर्मियों/पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय कि पूर्व में प्राप्त अनियमित वित्तीय उन्नयन से फलित आर्थिक लाभ की कटौती क्यों नहीं कर ली जाय। इस क्रम में प्राप्त होने वाले स्पष्टीकरण के आलोक में नियमानुकूल कार्रवाई अपेक्षित होगा।

(घ) पुलिस हस्तक नियम 828(सी) के अन्तर्गत यदि किसी कर्मी/पदाधिकारी के वेतनवृद्धि का समपहरण किया जाता है, तो उसे वृहद सजा माना जायेगा एवं उसका प्रभाव घटना की तिथि से तीन वर्ष तक पड़ेगा।

(ड़) जिन कर्मियों/पदाधिकारियों का द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन दंडादेश के कारण आस्थगित/विलम्बित हुआ है, उनको तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ संबंधित ग्रेड–वेतन में दस वर्षों के बाद अनुमान्य किया जायेगा। पुलिस महानिदेशक पर्षद का उक्त निर्णय वित्त विभाग से प्राप्त होने वाले परामर्श से प्रभावित होगा।

(च) पुलिस महानिदेशक पर्षद इस बात पर भी सहमत हुई कि जिन पदाधिकारियों के विरूद्ध सम्प्रति विभागीय कार्यवाही लंबित है एवं संबंधित वि0का0 में घटना की तिथि ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की अनुमान्य तिथि के बाद का हो तो ऐसे मामलों में वित्तीय उन्नयन का लाभ सशर्त्त देय होगा।

(2) प्रारक्ष अवर निरीक्षक (प्रशिक्षण) एवं आशु अवर निरीक्षकों की कोटि के पदाधिकारियों को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 का लाभ देने के संबंध में क्षेत्रीय पर्षदों से प्राप्त मनोनयन के आधार पर महानिदेशक पर्षद में निम्नांकित पदाधिकारियों के मामलों में सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2003 एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में विचार किया गया। निम्नांकित प्रारक्ष अवर निरीक्षक(प्रशि0) एवं आशु अवर निरीक्षकों को निम्न सारिणी के कॉलम–4 एवं 5 में अंकित तिथियों के प्रभाव से ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के लाभ हेतु योग्य पाया गया :–

क्र0 सं0	पद/नाम/जन्म तिथि /से0नि0/मृत्यु की तिथि	वर्तमान पदस्थापन	नियुक्ति की तिथि/ संपुष्टि की तिथि	महानिदेशक पर्षद का निर्णय
1	2	3	4	5
1	से0नि0प्रा0अ0नि0(प्रशि0) अरूण कुमार चौधरी/ 20.12.54/31.12.14	दरभंगा	01.08.76 हवलदार 01.02.86	तृतीय एम0ए0सी0पी0 15.12.10

क्र0 सं0	पद/नाम/जन्म तिथि /से0नि0/मृत्यु की तिथि	वर्तमान पदस्थापन	नियुक्ति की तिथि/ संपुष्टि की तिथि	महानिदेशक पर्षद का निर्णय
2	से0नि0प्रा0अ0नि0(प्रशि0) वैजनाथ यादव 1952/30.06.12	दरभंगा	21.06.71 हवलदार 16.12.84	**तृतीय एम0ए0सी0पी0 01.01.09**
3	से0नि0प्रा0अ0नि0(प्रशि0) चन्द्रबली झा/ 15.09.54/30.09.14	दरभंगा	24.02.75 हव0 01.05.84	**द्वितीय ए0सी0पी0 09.08.99 तृतीय एम0ए0सी0पी0 01.01.09**
4	सेवानिवृत प्रा0अ0नि0 (प्रशि0) जवाहर सिंह जन्म तिथि–19.01.1955 खगड़िया।	खगड़िया	08.05.1980 संपुष्टि की तिथि– अंकित नहीं	**तृतीय एम0ए0सी0पी0 08.05.10**
5	सेवा निवृत प्रा0अ0नि0(प्रशि0) अनिल कुमार/ 02.01.59/ पटना	पटना	20.07.77 15.10.91 (हव0 कोटि में)	**प्रथम ए0सी0पी0 देय नहीं द्वितीय ए0सी0पी0 08.12.02 से तथा तृतीय एम0ए0सी0पी0 20.05.10 से देय यथासंशोधित**
6	आशु अ0नि0 देवेश राय/ 15.12.63/	पु0उ0म0नि0 कार्या0, ति0 क्षे0, मुज0पुर	आशु0 स0अ0नि0 15.08.88 आशु0 पु0अ0नि0 27.07.09 सम्पुष्टि 27.07.10	**तृतीय एम0ए0सी0पी0 15.08.18**
7	आशु अ0नि0 ओम प्रकाश/ 25.02.1965/ पुलिस मुख्यालय	पुलिस मुख्यालय	आशु0 स0अ0नि0 06.01.89 आशु0 पु0अ0नि0 07.03.08 सम्पुष्टि 07.03.10	**तृतीय एम0ए0सी0पी0 06.01.19**
8	आशु अ0नि0 राकेश कुमार/ 08.06.63/ पुलिस मुख्यालय	पुलिस मुख्यालय	आशु0 स0अ0नि0 08.08.88 आशु0 पु0अ0नि0 24.09.09 सम्पुष्टि 30.07.90	**तृतीय एम0ए0सी0पी0 08.08.18**
9	आशु अ0नि0 अजीत कुमार सिंह/ 13.02.63/ नालन्दा	नालन्दा	आशु0 स0अ0नि0 15.07.84 आशु0 पु0अ0नि0 19.09.19 सम्पुष्टि 27.08.86	**प्रथम ए0सी0पी0 09.08.99 द्वितीय ए0सी0पी0 15.07.08 तृतीय एम0ए0सी0पी0 15.07.14**

उपर्युक्त किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि/पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की नियमानुसार वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी। क्रमांक–5 पर अंकित सेवानिवृत प्रा0अ0नि0(प्रशि0) अनिल कुमार के संदर्भ में लिये गये निर्णय के आलोक में तदनुरूप नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) दिनांक–08.04.2019 को आयोजित पुलिस महानिदेशक पर्षद की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में निम्नलिखित पदाधिकारियों के मामले को कंडिका–5 में वर्णित कारणों से लंबित रखने का निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

क्र0 सं0	पद/नाम/जन्म तिथि /से0नि0/मृत्यु की तिथि	वर्तमान पदस्थापन	नियुक्ति की तिथि/ संपुष्टि की तिथि	महानिदेशक पर्षद का निर्णय
1	2	3	4	5
1	विनोद कुमार सिंह प्रा0अ0नि0प्रशि0 15.01.61 मधुबनी	मधुबनी	सिपाही 15.11.79 हवलदार – प्रा0अ0नि0 30.08.17	लंबित हवलदार में प्रोन्नति की तिथि अंकित नहीं

क्र0 सं0	पद/नाम/जन्म तिथि/से0नि0/मृत्यु की तिथि	वर्तमान पदस्थापन	नियुक्ति की तिथि/संपुष्टि की तिथि	महानिदेशक पर्षद का निर्णय
2	से0नि0 आशु स0अ0नि0 उमाशंकर द्विवेदी/ 01.0751/ चम्पारण	चम्पारण	सिपाही 14.06.77 05.09.98 पुलिस मुख्यालय आदेश ज्ञा0–331/365596/पी0–2 दिनांक–16.04.18 तदनुसार मोतिहारी जिलादेश सं0–1111/18 के अनुसार दिनांक–06.09.89 से स0अ0नि0 के पद पर वैचारित रूप से नियुक्ति	लंबित। प्राप्त एम0ए0सी0पी0 की तिथि 01.01.19 अंकित है। जो भ्रामक है। सेवापुस्तिका देखकर उपस्थापित किया जाय।

(3) महानिदेशक पर्षद द्वारा निम्नांकित प्रा0अ0नि0(प्रशि0) को उनके नाम के सामने अंकित कारणों से ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत देय/अदेय लाभ को कंडिका–5 में अंकित कारणों से अयोग्य रखने का निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

क्र0 सं0	पद/नाम/जन्म तिथि/से0नि0/मृत्यु की तिथि	वर्तमान पदस्थापन	नियुक्ति की तिथि/संपुष्टि की तिथि	महानिदेशक पर्षद का निर्णय
1	2	3	4	5
1	सुशील राम प्रा0अ0नि0प्रशि0 04.03.60 दरभंगा	दरभंगा	सिपाही 15.05.79 हवलदार 03.06.11 हवलदार में सम्पुष्टि 03.06.12 प्रा0अ0नि0 30.08.17	अयोग्य हिन्दी टिप्पण प्रारूपण उत्तीर्ण नहीं रहने के कारण

उपरोक्त की गई पृच्छा एवं लंबित/अयोग्य मामलों के कारणों का निराकरण करते हुए वित्त विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक--3ए–4–प्रो0–03/2014–10936(वि0) दिनांक–27.11.2014 में निहित प्रावधानों के आलोक में संशोधित मनोनयन अविलम्ब भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय। पुलिस उप–महानिरीक्षक, बेतिया आशु स0अ0नि0 उमाशंकर द्विवेदी की सेवापुस्तिका उपलब्ध करायें ताकि इनके मनोनयन के स्तंभ–13 में अंकित प्रथम प्रदत्त एम0ए0सी0पी0 की वास्तविक तिथि के संबंध में सही–सही जानकारी प्राप्त हो सके।

21/5

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–822/425106/पी0–2,
16–01–01–2018
पुलिस मुख्यालय का कार्यालय, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक–21/05/2019

C-10 – 142768/2019

प्रतिलिपि :–

1. सभी संबंधित पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. सभी संबंधित अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. सभी संबंधित पुलिस महानिरीक्षक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. सभी संबंधित पुलिस उप–महानिरीक्षक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. सभी संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. सभी संबंधित पुलिस अधीक्षक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

21/5

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना।